

छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल  
पुराना नर्सिंग हास्टल, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
रायपुर, छत्तीसगढ़



क्रमांक/रजि० नर्सिंग का०/2020/705

रायपुर, दिनांक 28/04/2020


कोविड -19 की परिस्थिति हेतु सूचना

समस्त नागरिकों, पंजीकृत परिचारिकाओं, नर्सिंग संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि छ.ग. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में पंजीयन नवीनीकरण (रिनिवल) आवेदन डाक के माध्यम से आने पर ही स्वीकार किया जायेगा। उक्त कार्यों के संपादन उपरांत उचित पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रमाण पत्र वितरित किया जावेगा।

पंजीयन नवीनीकरण (रिनिवल) आवेदक निम्न दस्तावेज डाक से आवश्यक भेजे :—

1. रजिस्ट्रेशन रिनिवल फॉर्म।
2. ओरिजनल रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट।
3. आधार कार्ड (फोटो कॉपी)
4. ऑनलाईन पेमेंट ( दो फोटो कॉपी)
5. ए 4 साईज लिफाफा जिसमें पत्र व्यवहार का पूरा पता पिन कोड सहित लिफाफे में लिखा होना अनिवार्य है।

यदि किसी कारण हेतु आपको काउन्सिल कार्यालय आने की आवश्यकता हो तो राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन करना अनिवार्य होगा।

  
रजिस्ट्रार  
छ.ग.नर्सिंग रजि.काउन्सिल  
रायपुर (छ.ग.)  
28/04/2020